2016/00222

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 20 / 2016 (प्रा0पत्र–आवंटन निरस्तीकरण)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

मंजूबाई पत्नि उत्तमचन्द जाति माली निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा .

(अप्रार्थी)

उपस्थित :– 1. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)
2. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक (अप्रार्थी की ओर से)

प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970) के नियम 14(4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 17,22 के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत

निर्णय दिनांक : 18.12.2019

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी मंजूबाई को ग्राम सारोला तहसील दीगोद जिला कोटा मे स्थित आराजी ख0 नं0 740 रकबा 0.80 हैक्टर भूमि का आवंटन दिनांक 17.03.2005 को किया गया था । उक्त भूमि पर आवंटी को दिनांक 10.04.2005 को कब्जा सुपुर्द / दखल दिया गया था । आवंटी द्वारा भूमि आवंटन एवं कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नही होने एवं भूमि पडत रहने पर राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970)के नियम 14 (4) एवं राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 के संशोधित नियम 1957 के नियम 17,22 के अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन संबंधी निर्धारित शर्त का उल्लघंन करने पर आवंटन निरस्त हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया ।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । अप्रार्थी की ओर से श्री घनश्याम नागर अभिभाषक द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि अप्रार्थी द्वारा बाद आवंटन आवंटन नियमों की पालना कर काश्त कर रही है । उक्त आराजी अप्रार्थी व अप्रार्थी के परिवार के जीवन निर्वाह का आधार है । प्रार्थी द्वारा बिना किसी आधार व जानकारी के कार्यवाही की है । बाद आवंटन अप्रार्थी को विधिक रूप से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है । खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद प्रस्तुत कार्यवाही पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है । अप्रार्थी ने काफी मेहनत व पैसा खर्च कर आराजी को उन्नत व उपजाऊ बनाया है । आज भी रिकार्ड मे गैरखातेदार दर्ज है । नियमित रूप से खातेदारी हेतु आवेदन करती रही है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

3. पेरोकार सरकार व वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई । पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया गया । अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा भी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे

अंकित तथ्यों को दोहराते हुए आवंटत भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त होने व आवंटन शर्तो की पालना किया जाना साबित होने से तहसीलदार दीगोद द्वारा पेश किया गया प्रार्थना– पत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

5. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया । विवादित आराजी का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर दिनांक 17.03.2005 को अप्रार्थी को किया जाकर दिनांक 10.04.2005 को कब्जा दिया गया । जमाबन्दी सम्वत् 2067–70 मे वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी के गैर खातेदारी मे दर्ज होना पायी जाती है । भूमि पडत होने व आवंटी द्वारा काश्त नही करने बाबत प्रार्थी (तहसीलदार दीगोद) द्वारा कोई सबूत व दस्तावेज पेश नही किये गये जिससे सिद्व हो सके कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नही की है । अप्रार्थी द्वारा भी भूमि पर काश्त करने व आवंटन की शर्तो की पालना करने बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किये है ।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि यदि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लघंन किया गया है तो सम्पूर्ण दस्तावेजो के साथ पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेगे ।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा